

सराहनीय कार्य

औरैया पुलिस

दिनांक:-10.02.2026

साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा टूर एंड ट्रेवेल्स के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 01 अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर कब्जे से, 1,19,400/- रुपये नकद, 02 लैपटॉप 10 एटीएम, 01 अदद मोबाइल फोन, टूर एंड ट्रेवेल्स कार्ड किये बरामद।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर द्वारा साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक औरैया व क्षेत्राधिकारी बिधूना/ साइबर के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम टीम के द्वारा सस्ती व लुभावनी पर्यटन यात्रा के नाम पर लोगों को गुमराह करके साइबर अपराध करने वाले एक अन्तर्राज्यीय अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 10-02-2028 को साइबर थाना औरैया टीम द्वारा एनसीआरपी/प्रतिबिम्ब पोर्टल पर विभिन्न राज्यों से प्राप्त शिकायतों 01.31112250249524 (जनपद भरौच राज्य गुजरात) 02. 23712250075084 (तेलंगाना) 03.23112250202676 (लखनऊ उत्तरप्रदेश) 04. 20811250087641 (नई दिल्ली) 05. 21901260011078 (मुम्बई) के सम्बन्ध में थाना कोतवाली औरैया क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी कि मुखबिर द्वारा सस्ती व लुभावनी पर्यटन यात्रा का लालच देकर घोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में सूचना दी गई। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर साइबर थाने की टीम मुखबिर के बताये हुए स्थान थाना कोतवाली औरैया के जिला संयुक्त चिकित्सालय 100 शैय्या चिकित्सालय के पास से आज दिनांक समय करीब रात्रि 02:50 अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से 1.19.400/- रुपये नकद. 02 लैपटॉप 10 एटीएम, 01 अदद मोबाइल फोन, टूर एंड ट्रेवेल्स कार्ड बरामद किया गया। जिसके आधार पर थाना साइबर थाना पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण- प्रवेद्र प्रताप सिंह उर्फ ओमजी पुत्र इंद्रपाल सिंह निवासी ग्राम रुरुआ सांफर थाना अजीतमल जनपद औरैया, उम्र करीब 30 वर्ष।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि वह **ट्रेवेल्स कम्पनी** में काम करता था जिसमें यह कम्पनी ट्रेवल टूर पैकेज उपलब्ध कराती थी। वहीं से उसने ट्रेवलिंग का काम सीखा और उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर **WE WANT TRIP** के नाम से एक पेज बनाया। इसी पेज पर उसके द्वारा पर्यटन के सस्ते व लुभावने ऑफर देकर लोगों को आकर्षित करता था। उसके बाद जो व्यक्ति इन यात्राओं को करना चाहते थे इसी पेज पर दिये गये मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क करते थे। फिर वह धोखे व जालसाजी से उन लोगों को फंसा कर उनसे अपने बताये हुए बैंक खातों में रुपये डलवा लेता था।

पंजीकृत अभियोग-मु०अ०सं० 05/26 धारा 317 (2)/318 (3) भास्तीय न्याय संहिता व 68 डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम जनपद औरैया।

विवरण बरामदगी-

1. कुल 1.19.400/- रुपये नकद
2. दो अदद लैपटॉप (एप्पल व डेल कम्पनी)
3. दस अदद विभिन्न बैंकों के ए०टी०एम० कार्ड
4. एक मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास (जानकारी की जा रही है)

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

- 1- श्री राजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम
- 2- श्री हेमन्त चौधरी साइबर थाना
- 2- मय साइबर सेल / थाना साइबर क्राइम टीम

➤ **औरैया पुलिस द्वारा समस्त जनता से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने के बाद गोल्डन ऑवर में (01) घण्टे के अन्दर) या जल्द से जल्द साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 व www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराये। साथ ही आप साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने में असुविधा हो रही है तो आप अपने निकट के थाने की साइबर हेल्पडेस्क से भी सम्पर्क कर सकते हैं।**

